प्रकरण संख्या 03/2021 नरसिंह व अन्य बनाम शंकरलाल

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 27.06.2024 | प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी नंबर 3578/1724 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि राजस्व ग्राम बांसवाड़ा में स्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी के पड़ोस प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार है। उक्त आराजी के मूल नंबर 1724 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा था। उक्त भूमि के सहखातेदारों के मध्य विभाजन होकर श्रीमती शान्ता के हिस्से में 14 बिस्वा एवं अन्य सहखातेदारों के हिस्से में रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि विभाजन से प्राप्त हुई। श्री रमेश व अन्य सहखातेदारों ने अपने कब्जे व खातेदारी की उक्त आराजी नंबर 3578/1724 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा श्री कालूराम को विक्रय कर दी। तत्पश्चात् कालूराम ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.03.2014 से प्रार्थी को विक्रय कर दिया। तब से प्रार्थी उक्त आराजी का खातेदार होकर काबिज है एवं चारों ओर बाउण्ड्रीवाल बना रखी है। अप्रार्थीगण दिनांक 03.11.2020 को प्रार्थी की भूमि में कब्जा करने के उद्‌देश्य से जबरन प्रवेश कर निर्माण कार्य करने का प्रयास किया, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः ताफैसला मूलवाद अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।<br><br>अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष के अभिभाषकों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 04.08.2021 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 से 9 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।<br><br>अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार जैन उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट के ओर से अधिवक्ता श्री जयेन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।<br><br>विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि रेस्पोन्डेन्ट ने जिस भूमि के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है, [illegible]री नक्शे में दर्शाया है, मौके की स्थिति अनुसार उक्त भूमि अपीलान्ट संख्या 6 से 8 एवं श्रीमती मीरा देवी के अधिपत्य की होकर उपयोग उपभोग करते [illegible] | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:43:26 IST
Reason: SelfAttested

आ रहे हैं। मौके पर प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट का कोई कब्जा नहीं है एवं इस तथ्य को अपीलान्ट/अप्रार्थीगण ने दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित कराया है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। आवासीय भूमि को कृषि बताकर प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट ने वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जबकि मौके पर कृषि भूमि की स्थिति नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद एवं उक्त वाद में आराजियात की किस्म अलग–अलग होना मानकर निर्णय पारित करने में विधिक भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचन करते हुए प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्टगण को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी पाबन्द किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। जमाबन्दी संवत् 2077 अनुसार प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट शंकरलाल विवादित आराजी नंबर 3578/1724 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा का खातेदार दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में विस्तृत विवेचन करते हुए प्रार्थी विवादित आराजी नंबर 3578/1724 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा का रेकार्डेड खातेदार होने एवं अप्रार्थीगण के पक्ष में सिविल न्यायालय द्वारा जारी अस्थायी निषेधाज्ञा में वर्णित आराजियात की किस्म अलग होना मानकर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में माना है एवं उक्त आधार पर सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में मानते हुए मूलवाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 29/2021 में पारित निर्णय दिनांक 04.08.2021 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 27.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:43:26 IST
Reason: SelfAttested

(... सिंह सांगावत)
... बन्ध अधिकारी
एवं ... राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर